By :- Sunita Kumari
Dept. of History
J.N.C. Madhubani

मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं।

What do you mean by fundamental Right.

मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य के सामाजिक जीवन में अन्तर्निहित हैं और जिन्हें राज्य के जीवन का आधार-स्तम्भ स्वीकार करते हैं। इनके अभाव में राष्ट्र और व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक प्रगति रूक पड़ जाती है। इस संबंध में एक विद्वान की यह उक्ति है कि "Fundamental Rights are those rights which are fundamental to life." अतः जिस देश में प्रजातांत्रिक सरकार होती है उस देश के संविधान में, चाहे वहाँ की सरकार संसदीय हो या अध्यक्षात्मक, मौलिक अधिकार का वर्णन कर दिया जाता है जिसका व्यवस्थापिका अथवा कार्यपालिका उल्लंघन नहीं कर सकती है।

M.V. Pylee ने लिखा है कि - प्रजातांत्रिक शासन-व्यवस्था में नागरिकों की स्वतन्त्रता का अत्याधिक महत्व रखता है क्योंकि इसके द्वारा नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास होता है। अतः नागरिकों को स्वतन्त्र रहने के लिए ही शासन का इतना बड़ा ढाँचा तैयार किया जाता है। इसीलिए मौलिक अधिकार सभी प्रजातांत्रिक राज्यों की आधार-शिला है।

भारत के नागरिकों को संविधान द्वारा निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं :—

1. समता का अधिकार :→ Rights of Equality :→ समता प्रजातंत्र सरकार की जान होता है। संविधान के 14, 15, 16, 17 तथा 18 के अनुच्छेद में समता सम्बन्धी अधिकारों का विशद वर्णन किया गया है।

जो इस प्रकार है :—

(a) कानून के समक्ष समता - (Equality before Law)
भारत के सभी नागरिक कानून की दृष्टि में एक समान है। वे अपने जीवन की सुरक्षा और उन्नति के अवसर न्यायालय द्वारा समान रूप से प्राप्त कर सकते है। अतः कानून सबों को समान अवसर प्रदान करता है।
इस संदर्भ में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की भाँति भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि कर-निर्धारण या अन्य किसी सामान्य उद्देश्य से सरकार नागरिकों को विभिन्न वर्गों में रख सकती है तथा उनके बीच भेद-भाव कर सकती है।

(b) सामाजिक समता (Social Equality) :→ संविधान के अनुच्छेद 15 में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है :— "केवल धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म-स्थान के आधार पर किसी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों पर आने-जाने पर कोई नियंत्रण नहीं होगा।"

(c) अवसर की समता :→ इसका अर्थ यह है कि राज्य के भीतर किसी भी पेशा, रोजगार, नियुक्ति और पद प्राप्त करने में किसी भी नागरिक के साथ किसी भी तरह का भेद-भाव नहीं किया जायेगा, चाहे नागरिक स्त्री हो या पुरुष।

(d) अस्पृश्यता का अन्त :→ यहाँ संविधान द्वारा अस्पृश्यता का अन्त कर दिया गया है।

(E) उपाधियों का अन्त :→ इसके द्वारा शिक्षा तथा सेना संबंधी उपाधियों के अलावा सभी तरह की उपाधियों (Titles) का अन्त कर दिया गया है।